सुरजप्रताप सिंह बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्याः– 146 / 2024 (प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–29 / 08 / 2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 146 / 2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 21 / 11 / 2024
निर्णय दिनांक :– 29 / 08 / 2025

अनवान

1. सुरजप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी 241, सब्जी मण्डी के पास, लेबर कॉलोनी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 361 आराजी संख्या 591, 592, 593, 598, 600, 601 कुल किता 06 कुल क्षैत्रफल 1.7300 हैक्टेयर भूमि होकर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1 / 8 हिस्सा स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी मालिक है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज कास्त हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रार्थी का नाम सूर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह दर्ज वह गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक सही नाम सुरजप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह है। उक्त राजस्व जमाबन्दी में दर्ज नाम सूर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह की जानकारी प्रार्थी को आज दिन पहले नहीं थी। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जो गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी परन्तु अभी भूमि की जमाबन्दी

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

निकलवाने पर प्रार्थी को जमाबन्दी के नाम में त्रुटि की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी में कम्प्यूटर से ऑनलाईन नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थी के नाम में त्रुटि हैं और प्रार्थी का नाम सुरजप्रतापसिंह पिता पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर सुर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह दर्ज हैं जो त्रुटिवश गलत दर्ज है। प्रार्थी का नाम का वास्तविक एवं सभी दस्तावेजों में नाम सुरजप्रतापसिंह पिता पुत्र भंवरसिंह ही हैं एवं सभी राजकीय एवं अराजकीय कार्य भी इसी नाम से सम्पादित किये जाते है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम की त्रुटि की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पेनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम सुरजप्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह सिर्फ त्रुटिवश राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम सुर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह दर्ज हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम में त्रुटि होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी को इस त्रुटि की पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु प्रार्थी को राजस्व संबंधी कार्य सम्पादन के लिये अपनी भूमि के दस्तावेजों की जरूरत पड़ी तो जमाबन्दी संवत् 2076 की ऑनलाईन नकल प्राप्त की तो पता चला कि उक्त जमाबंदी में जो नाम सुर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह दर्ज है वह गलत है जिसको राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह के स्थान पर सुरजप्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को शुद्ध करते हुए प्रार्थी का नाम सुर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह के स्थान पर सुरजप्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का लसानी की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि ग्राम लसानी के जमाबन्दी खाता संख्या 361 संवत् 2076 में प्रार्थी का नाम सुर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। संलग्न मौका पर्चा एवं प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, पैनकार्ड, सहमती पत्र, सरपंच का प्रमाणपत्र के अनुसार प्रार्थी का नाम सुरजप्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, सहमति पत्र, प्रमाणपत्र में भी सुरजप्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत दर्ज है जो कि सही है। भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब व पटवारी हल्का लसानी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों(आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, सहमति पत्र, प्रमाणपत्र, पेनकार्ड) पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 361 आराजी संख्या 591, 592, 593, 598, 600, 601 कुल किता 06 कुल क्षैत्रफल 1.7300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम सुर्यप्रतापसिंह पिता भंवरसिंह के स्थान पर सुरजप्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द